(102)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल जिला ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक— /2016 रिवीजन निग – 1398 – I – 16

शैलेश एस. बर्नाड पुत्र श्री सेमियल बर्नाड
निवासी—2140 बल्दी कोरी की दफाई, तहसील
व जिला जबलपुर ....आवेदक

बनाम्

म.प्र. शासन द्वारा तहसीलदार महोदय,
तहसील पनागर, जिला जबलपुर

........अनावेदक

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक. 23.06.2014 पारित द्वारा श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील पनागर जिला जबलपुर जो प्रकरण क्रमांक 171/2012–13/अ–12 बउनवान शैलेश, बर्नाड बनाम म.प्र. शासन में पारित किया गया है जिसके द्वारा आवेदक का आवेदन वास्ते सीमांकन किये जाने बावत् निरस्त कर दिया है।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्नलिखित प्रस्तुत है :—

1. यह कि, आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान तेहसीलदार महोदय के न्यायालय में एक आवेदन वास्ते आवेदक द्वारा क्रय किये गये प्लाट 20' x 62' कुल क्षेत्रफल 1240 वर्गफुट के प्लाट का सीमांकन कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया जिसका प्रकरण क्रमांक 171/2012–13/अ–12 है जिसमें तेहसीलदार द्वारा दिनांक 30.04.2012 को सीमांकन किये जाने के सम्बंध में आदेश पारित किया तथा सीमांकन रिपोर्ट हेतु दिनांक 26.05.2012 नियत की गई।
2. यह कि उपरोक्त प्रकरण में अनावेदक क्रमांक 1 तेहसीलदार महोदय पनागर द्वारा सर्वे क्रमांक 289/17 के क्षेत्रफल 1247 वर्गफुट के प्लाट का बटांकन कायम किया जाना संभव न होने से सीमांकन किया जाना संभव न होने से दिनांक 30.04.2014 को सीमांकन आवेदन निरस्त कर दिया।

.... 2

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1398-एक/16 **जिला** - जबलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15/02/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री करतार सिंह कुशवाह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के सीमांकन आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.04.2019 को अनुविभागीय अधिकारी पनागर जिला जबलपुर के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **अनुविभागीय अधिकारी पनागर**	